प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 33/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' पर सिफारिशें जारी की।

नई दिल्ली, 29 मई, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' पर सिफारिशें जारी की हैं।

इस संबंध में भादूविप्रा को दूरसंचार विभाग से पत्रांक 20-281/2010-AS-I Vol. XII (pt.) के तहत 8.05.2019 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें राष्ट्रीय डिजिटल दूरसंचार नीति, 2018 पर उससे सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है, जिसमें अन्य के साथ–साथ ''फिक्स्ड लाइन एवं मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करके पर्याप्त नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करना'' शामिल है।

2. भादूविप्रा द्वारा तदनुसार, 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए एकीकृत नंबरिंग प्लान का विकास करना' पर एक परामर्श पत्र 20 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसके द्वारा हितधारकों की राय/टिप्पणियां मांगी गई थी। इस संबंध में, भादूविप्रा, नई दिल्ली में 16 जनवरी, 2020 को एक खुला मंच चर्चा (ओएचडी) भी आयोजित की गई थी।

3. हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/सूचनाओं और ओएचडी में हुई चर्चा एवं खुद के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने 'फिक्स्ड लाइन और मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त नंबरिंग रिसोर्सेज सुनिश्चित करना' पर अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप दिया। इन सिफारिशों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

(क) एकीकृत नंबरिंग योजना के लिए माइग्रेशन, जिसमें मौजूदा नेटवर्क में बड़े पैमाने पर परिवर्तन शामिल हैं, की इस चरण में सिफारिश नहीं की जाती है। हालांकि, वैकल्पिक विधियों के माध्यम से फिक्स्ड लाइन/मोबाइल सेवाओं के लिए पर्याप्त संख्या में संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

(ख) '2', '3', '4', '5', और '6' स्तरों में सीमित रूप से उपयोग को फिक्स्ड लाइन सेवाएं प्रदान करने वाले टीएसपी से उप–स्तरीय वार उपयोग प्राप्त करने के बाद वापस लिया जा सकता है। कुछ फिक्स्ड लाइन टीएसपी को आवंटित स्तर/उप–स्तर को, जिन्होंने आवंटन के एक साल बाद भी अपनी सेवाओं को लॉन्च नहीं किया है, औचित्य के साथ वापस लिया जा सकता है। वापस लिए गए ये स्तर फिक्स्ड लाइन सेवा प्रदाताओं के लिए भविष्य के आवंटन के लिए आरक्षित होने चाहिए।
(ग) 10–अंकों की मोबाइल–नंबरिंग श्रृंखला का उपयोग करके सभी सिम–आधारित M2M कनेक्शनों को M2M संचार के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा आवंटित 13–अंकों की नंबरिंग श्रृंखला में जल्द से जल्द स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

(घ) निम्नलिखित योजना को पर्याप्त नंबरिंग स्पेस के निर्माण के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए:

(1) फिक्सड से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले '0' लगाएं।
(2) फिक्स्ड से फिक्स्ड, मोबाइल से फिक्स्ड और मोबाइल से मोबाइल पर कॉल करने की योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
(3) इस योजना को लागू करने के लिए सभी टीएसपी को कुल एक महीने का समय दिया जा सकता है।
(4) फिक्स्ड लाइन स्विच में उचित घोषणा डाली जाए ताकि सभी फिक्स्ड से मोबाइल पर कॉल के लिए नंबर से पहले '0' लगाने आवश्यकता के बारे में फिक्स्ड लाइन ग्राहकों को सूचित किया जा सके। जब भी कोई ग्राहक नंबर से पहले '0' लगाए बिना एक फिक्स्ड से मोबाइल पर कॉल करें तो यह घोषणा प्ले होनी चाहिए।
(5) सभी फिक्स्ड लाइन उपभोक्ताओं को '0' डायलिंग सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

(ड.) सभी अभ्यर्पित नंबरिंग संसाधनों के समाप्त होने के बाद, '6', '3', '4' और '2' से शुरू होने वाले मौजूदा SDCA कोड का उपयोग अंत में '0, '1' '8', और '9' लगाकर मोबाइल सेवाओं के लिए किया जा सकता हैं। प्रारंभ में स्तर 6 के मौजूदा SDCA कोड का उपयोग स्तर '3', '4' और '2' के बाद किया जा सकता है। इसी तरह, पहले के चरणों के उपयोग के तहत सभी नंबरिंग संसाधन समाप्त हाने के बाद, मोबाइल सेवाओं के लिए एनएनपी 2003 में सूचीबद्ध अतिरिक्त कोड का उपयोग किया जा सकता है। प्रारंभ में स्तर '3', '4' और '2' के बाद स्तर '6' के अतिरिक्त कोड का उपयोग किया जा सकता है।

(च) नंबरिंग संसाधन आवंटित करने लिए उपयोग का मौजूदा मापदंड को जारी रख जाना चाहिए।

(छ) नंबर प्रबंधन प्रणली सॉफ्टवेयर का उपयोग करके नंबरिंग का स्वचालित आवंटन शुरू किया जाए ताकि आवंटन की प्रक्रिया को कुशल और पारदर्शी तरीके से तेज किया जा सकें। अगर जरूरी हों तो इस कार्य को दूरसंचार विभाग के समग्र नियंत्रण और निगरानी में बाहरी एजेंसियों के माध्यम से करया जा सकता है।

4. सिफारिशें भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड की गई हैं। किसी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री यू. के. श्रीवास्तव, प्रधान सलाहकार (एनएसएल) से टेलीफोन/फैक्स नंबर +91–11–23233291 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

<u>अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति मान्य होगी।</u>